

दो माह पहले लव मैरेज करने वाली विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत

एक युवक की भी मौत, परिजनों ने लगाया युवक को बीयर में जहर देने का आरोप



पहला मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 20 वर्षीय राजा पिता मुन्ना खान की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई. राजा टाइल्स लगाने का काम करता था.

बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत पर परिवार ने उठाए सवाल

बहु ने कमिश्नर से की शिकायत, कहा- हमले के बाद हुई मौत, एफआईआर में तोड़-मरोड़ कर लिखे बयान

इंदौर. बाणगंगा क्षेत्र में एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मृतक के परिजनों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है. परिवार का आरोप है कि जांच गलत दिशा में की जा रही है और एफआईआर में दिए गए बयान भी सही तरीके से दर्ज नहीं किए गए. जानकारी के अनुसार राम नगर निवासी पप्पू करणप की कुछ समय पहले मौत हो गई थी. पुलिस

था. परिजनों ने बताया कि वह दिन में काम पर गया था और शाम को घर लौटा. खाना खाने से पहले किसी का फोन आने पर वह बाहर गया और कुछ देर बाद घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई. राजा ने परिजनों से कहा कि किसी ने उसे बीयर पिलाई थी, इसके बाद वह उल्टियां करने लगा. परिजनों का आरोप है कि बीयर में जहर मिलाकर पिलाया गया. उनका कहना है कि दो

माह पहले राजा ने अपने दोस्त को पत्नी साइना से प्रेम विवाह किया था. उसी महिला के पति ने बदला लेने के लिए यह साजिश रची. साइना के पति से राजा की दोस्ती काम करने के दौरान हुई थी. बहरहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा.

जिम ट्रेनर से किया था प्रेम विवाह
खजराना क्षेत्र में भी मंगलवार रात एक महिला की संदिग्ध मौत ने लोगों को हैरान कर दिया. मृतक की पहचान राधिका परिहार (31 वर्ष) के रूप में हुई है, जो जिम ट्रेनर कुलदीप परिहार की पत्नी थीं. परिवार के मुताबिक, राधिका की रात में तबीयत बिगड़ गई थी. पति और भाई सोनू ने उसे पहले सिद्धि विनायक अस्पताल और फिर भंडारी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने एमवाय में पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया. सोनू ने बताया कि राधिका को देर रात किसी का फोन आया था, जिसके बाद वह

अचानक परेशान हो गई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. राधिका ने दो पहले ही कुलदीप से प्रेम विवाह किया था. मौत की सही वजह रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी. दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है और संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी कर रही है. इधर शिवकंठ नगर निवासी देवसिंह की ऊंचाई से गिरने से मौत होने का भी मामला सामने आया है. इस मामले में भी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के घर लाखों की चोरी

इंदौर. लसुडिया थाना क्षेत्र के पांश ओमेक्स सिटी में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के घर लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है. चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी उड़ा ली. एक फाइनेंस कंपनी में पदस्थ मैनेजर ओमेक्स सिटी में किराए के मकान में परिवार सहित रहते हैं. हाल ही में वे परिवार के साथ इंदौर से बाहर गए थे. लौटने पर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और अलमारियां बिखरी पड़ी हैं. चोर करीब आठ लाख रूपए के जेवर और नकदी चुरा ले गए थे. सूचना मिलते ही लसुडिया पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि चोरी की वारदात किसी नजदीकी व्यक्ति या परिचित को जानकारी में हुई होगी.

डीएम के निर्देश पर कैंसर हीलर सेंटर सील

इंदौर. डीएम के निर्देश पर न्यू पलासिया की डायमंड कॉलोनी, प्रोस्पेरिटी टॉवर की चौथी मंजिल पर संचालित स्थित कैंसर हीलर सेंटर को प्रशासनिक टीम ने सील कर दिया. ग्वालियर निवासी कमल जैन ने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी भारती जैन कैंसर से पीड़ित थीं और इलाज के नाम पर क्लिनिक संचालकों ने करीब 21 लाख रुपये ले लिए थे. इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ने से उनकी 28 सितंबर 2025 को मौत हो गई. जांच में पाया गया कि उक्त क्लिनिक का सीएमएचओ पंजीयन नहीं है. बताया जा रहा है कि यह संस्था 2016 से इंदौर में संचालित है, जबकि इससे पहले

इंस्पेक्टर, सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही. भी संचालक 2014 से विभिन्न स्थानों पर गतिविधियां चला रहे थे. कार्रवाई के दौरान आयुष विभाग के चिकित्सक, ड्रग



डीएम के निर्देश पर न्यू पलासिया की डायमंड कॉलोनी, प्रोस्पेरिटी टॉवर की चौथी मंजिल पर संचालित स्थित कैंसर हीलर सेंटर को प्रशासनिक टीम ने सील कर दिया.

IFCO किसान भाइयों से अपील
International Year of Cooperatives 2025
किसान भाइयों, इफको के उन्नत नैनो उत्पाद—नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, आदि—किसी दबाव या अनुचित टैंगिंग के प्रभाव में न खरीदें। स्वेच्छा से खरीदें; दबाव डालने पर तुरंत इफको के क्षेत्रीय अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी को शिकायत करें या फिर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। आपकी सतर्कता हमारी साझा समृद्धि सुनिश्चित करती है। हम सूचित करते हैं कि यदि कोई भी विक्रेता साखिंडी वाले उर्वरकों के साथ टैंगिंग करते हुए पाया गया तो इफको उसके साथ सभी प्रकार के व्यवसायिक संबंध समाप्त कर देगी और कड़ी कार्यवाही करेगी।
टोल फ्री नं.: 1800 103 1967
मुख्य प्रबंधक जनसम्पर्क

मारपीट और लूट मामले में सपना गुरु की जमानत अर्जी खारिज

किन्नर करिश्मा से मारपीट कर जेवर और नकदी छीनने के आरोप में जेल में है बंद



वह पक्षकारों पर राजीनामा करने का दबाव बना रही है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने कहा कि सपना गुरु के खिलाफ सात प्रकरण दर्ज हैं और सभी विचारधीन हैं. ऐसे में उसे जमानत देने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमति जताते हुए सपना गुरु की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

इंदौर. किन्नर करिश्मा से मारपीट कर जेवर और नकदी छीनने के आरोप में जेल में बंद किन्नर सपना गुरु को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. जिला अदालत में उसकी जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी.

सुनवाई के दौरान सपना गुरु की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे जूठे मामले में फंसाया है. घटना के समय वह अपने घर पर थी और इसका सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में पुलिस कमिश्नर को सौंपा जा चुका है. साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस ने उसके पास से कोई जव्वी नहीं की है. वहीं, फरियादी करिश्मा कुशवाहा की ओर से अधिवक्ता मनीष पालीवाल ने आपत्ति लेते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सही प्रकरण दर्ज कराया गया है, और

एक नजर में युवक की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद

इंदौर. बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के एक मामले में अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्द्धदंड से दंडित किया. मामला 3 जनवरी 2024 का है, जब लवकुश चौराहा मुक्तिधाम के पास तीन युवकों पर घातक हमला किया गया था. शुरुआत में पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइक सवार युवक सड़क हादसे में घायल हुए हैं, लेकिन जांच में सामने आया कि यह एक्सिडेंट नहीं, बल्कि सुनिश्चित हमला था. आरोपियों ने पत्थर और लोहे की रॉड से वारदात को अंजाम दिया था. हमले में पवनसिंह चौहान की मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी अंकित और राहुल गंधीरूप से घायल हुए थे. जांच में सामने आया कि आपसी विवाद के चलते लविश पिता जनार्दन तिवारी निवासी सांवेर रोड और सागर पिता रणजीत चौहान निवासी शिवकंठ नगर ने दो नाबालिगों के साथ मिलकर यह हत्या की थी. अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोटे ने पेशी की.

पुलिस ने मॉल्स में बढ़ाई चौकसी



इंदौर. दिल्ली में हाल ही में हुई ब्लास्ट को घटना को ध्यान में रखते हुए विजय नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के प्रमुख मॉल्स में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. थाना प्रभारी की अगुवाई में सी-21 मॉल, महार मॉल समेत अन्य बड़े प्रतिष्ठानों के सुरक्षा अधिकारियों, आउटलेट मैनेजर्स और कर्मचारियों को बैठक आयोजित की गई. बैठक में मौजूदा सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से समीक्षा की गई और सभी को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए. थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने कहा कि मॉल परिसर, पार्किंग एरिया, फूड कोर्ट और सिनेमा हॉल जैसे स्थानों पर संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर विशेष निगरानी रखी जाए. इस दौरान उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सचन चेकिंग सुनिश्चित करें, सभी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह क्रियाशील रहें और उनकी नियमित जांच करें, पार्किंग में छोड़े गए किसी भी संदिग्ध वाहन या सामान की सूचना तत्काल पुलिस को दें, संदिग्ध गतिविधि दिखने पर 108/112 या सीधे थाना विजय नगर से संपर्क करें, अनधिकृत व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश से रोके. थाना प्रभारी ने कहा कि सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है नागरिकों को सुरक्षा के लिए पुलिस और निजी सुरक्षा एजेंसियों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखना बेहद जरूरी है.

बिना अनुमति निकाली ट्रेक्टर रैली, केस दर्ज

इंदौर. प्रशासन के प्रतिबंध आदेश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेक्टर रैली निकाल दी. इस पर बड़गोदा पुलिस ने मामले में पांच नामजद समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह रैली विकास न्याय यात्रा के नाम पर मंगलवार को ग्राम जामली से शुरू होकर महु तहसील कार्यालय तक निकाली गई थी. आरक्षक रवि राजावत ने बताया कि उन्हें ग्राम जामली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रेक्टर रैली निकालने की जानकारी मिली. मौके पर पहुंचने पर पाया कि शक्ति सिंह गोयल, कन्हैयालाल ठाकुर, बैकुंठ पटेल, ओम पटेल और कृष्णा गोयल करीब 40-50 ग्रामीणों के साथ ट्रेक्टर-ट्रॉली से रैली निकाल रहे थे. यह रैली जामली से होते हुए गवली पलासिया, डोंगरगांव और महु होते हुए तहसील कार्यालय महााव तक पहुंची. अधिकारियों का कहना है कि यह आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के किया, जबकि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, इंदौर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में किसी भी रैली, जुलूस या धरना-प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है. पुलिस ने शक्ति सिंह गोयल सहित अन्य आयोजकों पर प्रकरण दर्ज किया है. रैली की वीडियोग्राफी भी की है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना बड़गोदा प्रभारी के अनुसार, प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में बिना अनुमति सार्वजनिक आयोजन न किए जाएं.

कमिश्नर ने बैठक में किया जनसंवाद

- शिकायत पेट्री से मिली जानकारी पर दिए तत्काल निर्देश
- जनता-पुलिस की साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर

नव भारत न्यूज
इंदौर. शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत बनाने की दिशा में पुलिस लगातार जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के गोल स्कूल में आयोजित मोहल्ला समिति की बैठक में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने नागरिकों से सीधा संवाद किया. बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) अमित सिंह, डीसीपी जे-2 कुमार प्रतीक, अतिरिक्त डीसीपी अमरेंद्र सिंह, पुलिस अधिकारी और लगभग 250 नागरिक (पुरुष, महिला व



बच्चे) उपस्थित रहे. इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद ही अपराध-मुक्त समाज की नींव है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे क्षेत्र की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना शिकायत पेट्री या क्राइम वॉच हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से गोपनीय रूप से दें. कार्यक्रम के दौरान रखी गई शिकायत पेट्री में कई नागरिकों ने क्षेत्र की समस्याएं और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी. पुलिस कमिश्नर ने उनमें से कुछ शिकायतों पर तत्काल ही कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए. बैठक में नागरिकों को साइबर अपराध, यातायात सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव और अवैधानिक गतिविधियों के प्रति जागरूक किया. नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए पुलिस को हारसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि नागरिकों की भागीदारी से शहर को और सुरक्षित बनाया जा सके.

रातों-रात ई-रिक्शा पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 44 जल

- नियम तोड़ने पर 10 ई-रिक्शा चालकों पर जुर्माना
- बड़े वाहन भी पकड़े

नव भारत न्यूज
इंदौर. शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. अभियान के दौरान 55 ई-रिक्शा चालकों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 44 वाहनों को जब्त कर यातायात थाना पूर्व व पश्चिम नियंत्रण कक्ष में खड़ा कराया. वहीं 10 ई-रिक्शा के चालकों से जुर्माना



वसूला. डीसीपी यातायात आनंद कलादगी ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह के मार्गदर्शन में की जा रही है. जांच के दौरान कई ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां बैठाते, बिना

बिना जानकारी किराएदार रखने वालों पर कार्रवाई

- झोन से हुई संदिग्ध स्थलों की चेकिंग
- होटल, लॉज, धर्मशालाओं और पार्किंग स्थलों पर सचन जांच

नव भारत न्यूज
इंदौर. पुलिस आयुक्त के निर्देश पर शहर में अपराधियों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में पुलिस ने महारंगम थाना क्षेत्र में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया. अभियान में सहायक पुलिस आयुक्त शिवेक चौहान ने बताया कि थाना प्रभारी वैदेद सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र के होटल, लॉज, धर्मशालाओं और पार्किंग स्थलों की जांच की. इस दौरान झोन कैमरे की मदद से संदिग्ध स्थानों और छतों की निगरानी भी की गई, जहां अपराधिक प्रवृत्ति के लोम एकर होकर नशा आदि करते थे.



पुलिस ने इस दौरान ऐसे 20 किराएदारों और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की, जिन्होंने थाने में किरायेदारी की जानकारी दर्ज नहीं कराई थी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी.

होटल-लॉज में ठहरने वालों की भी जांच शुरू

निर्देशों के बाद शहर भर में पुलिस ने देर रात तक चेकिंग अभियान चलाया. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्धों की तलाशी ली गई तथा दोनों यात्रियों के सामान की जांच की गई. इधर होटल, लॉज और किराए के मकानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने आज्ञाद नगर, चंदन नगर, खजराना, हीरानगर, राजेंद्र नगर, सदर बाजार, एमजी रोड और छत्रीपुरा थाना क्षेत्रों में सचन जांच की. शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और निगरानी के लिए अतिरिक्त टीमों को लगाया गया है.

लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के पास मिली अज्ञात युवक की लाश

कुछ दिन पहले क्षेत्र में घूमते देखा गया था युवक

इंदौर. लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है. नई बुकिंग विंडो के पास बबूल के पेड़ के नीचे लावारिस हालत में यह लाश पड़ी मिली. राहगीरों की सूचना पर जीआरपी टीम पहुंची

और पंचनामा बनाकर शव एमवाय अस्पताल भेजा गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि युवक पिछले कुछ दिनों से उसी क्षेत्र में घूमता दिखाई दे रहा था. फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है और न ही उसके पास से कोई दस्तावेज या सामान मिला है, जिससे उसके बारे में जानकारी मिल सके. पुलिस ने आसपास के थानों की सूचना भेज दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी मौत हादसे, बीमारी या किसी अन्य कारण से हुई है.

विरोध प्रदर्शन छात्रवासों में रहने वाले विद्यार्थियों के होस्टल भत्ता आवेदन सहित कई योजनाएं भी बंद पड़ीं, ज्ञापन सौंपा

तीन साल से नहीं मिली छात्रवृत्ति, फीस नहीं भर पाए, कई हो सकते हैं परीक्षा से वंचित

इंदौर. छात्रवृत्ति और विविध शैक्षणिक योजनाओं में देरी के साथ ही बंद की गई सुविधाओं को लेकर शहर के विद्यार्थियों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. विद्यार्थियों ने बताया कि सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन भरने के बावजूद अधिकांश विद्यार्थियों को अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है. इस कारण कई छात्र फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं. इस कारण वे परीक्षा से वंचित होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं. विद्यार्थियों ने बताया कि



छात्रवासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए एमपीटीएएसके के पोर्टल पर होस्टल भत्ता आवेदन तीन वर्षों से बंद है. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मिलने वाला डिजिटल डिवाइस और शासकीय महाविद्यालयों में स्टेशनरी

आरोप लगाया कि कई निजी महाविद्यालय विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अवैध शुल्क वसूल रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तनाव में हैं. छात्रों ने मांग की है कि ऐसे संस्थानों पर रोक लगाई जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए. हालांकि कलेक्टर द्वारा लेटर भोपाल पहुंचा दिया गया है और विद्यार्थियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. वहीं छात्र संगठनों द्वारा यह भी घोषणा की गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर एक महीने बाद बड़े कदम उठाएंगे.

यह बोले नाराज विद्यार्थी ...



छात्रवृत्ति और सहायता योजनाओं के बंद होने से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. हमें उम्मीद है कि शासन-प्रशासन जल्द ही समस्याओं का समाधान करेगा.
- प्रवीण पवार
शासन द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन इसका फायलाअप नहीं लिया जाता. परिणामस्वरूप ऐसे स्थिति बनने के साथ ही हितग्राही योजनाओं से वंचित रह जाते हैं.
- प्रिया अकोले
अभी आश्वासन दिया है कि योजना का लाभ मिलेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक महीने बाद इंदौर से भोपाल पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा.
- पवन अहिरवार, जिला अध्यक्ष, जयस छात्र संगठन